

बिहार सरकार  
 संख्या- 4/पी1-10-09/2010 गृ0आ0  
 गृह विभाग  
 (आरक्षी)

संकल्प

विषय : उग्रवादी, नक्सलवादी एवं संगठित अपराधियों से मुठभेड़ में घायल पुलिस पदाधिकारियों/पुलिस कर्मियों (सैप सहित) को सहाय्य अनुदान स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

राज्य में उग्रवादी, नक्सलवादी एवं संगठित अपराधियों से मुठभेड़ के दौरान कई पुलिस पदाधिकारी, पुलिस कर्मी एवं सैप कर्मी घायल हो जाते हैं एवं इनमें से कुछ स्थायी रूप से विकलांग भी हो जाते हैं। वर्तमान में घायल पुलिस कर्मियों की सेवा-सुश्रूषा की व्यवस्था नहीं रहने के कारण पर्याप्त सहायता राशि उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पाता है। जिसका कुप्रभाव पुलिस बल के मनोबल पर पड़ता है।

2. अतः पुलिस बल के कल्याण एवं मनोबल को बनाये रखने हेतु सरकार ने पूर्ण विचारोपरान्त उग्रवादी, नक्सलवादी एवं संगठित अपराधियों से मुठभेड़ में घायल पुलिस पदाधिकारियों/पुलिस कर्मियों (सैप सहित) को सहाय्य अनुदान निम्न प्रकार स्वीकृत करने का निर्णय लिया है :-

क्रमांक	जखम का प्रकार	स्वीकृत की जानेवाली राशि	स्वीकृत हेतु सक्षम प्राधिकार
1	सामान्य जखम	रु0 50,000 (पचास हजार रु0) तक	पुलिस महानिदेशक, बिहार
2	गंभीर जखम/स्थायी विकलांगता	रु0 1,00,000 (एक लाख रु0) तक	पुलिस महानिदेशक, बिहार
		रु0 1,00,000 (एक लाख रु0) से उपर 3,00,000 (तीन लाख रु0) तक	मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गठित समिति जिसके निम्नांकित सदस्य होंगे :- 1. गृह सचिव 2. अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) 3. स्वास्थ्य विभाग द्वारा मनोनीत पदाधिकारी 4. वित्त विभाग द्वारा मनोनीत पदाधिकारी

3. यह आदेश दिनांक 26.08.2010 से प्रभावी होगा।

4. इस हेतु प्रावधानित राशि पर सीधा नियंत्रण पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना का होगा, तथा राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन), बिहार, पटना होंगे एवं जिला स्तर पर जिला के पुलिस अधीक्षक होंगे।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति सभी विभागीय प्रधान सचिवों/सचिवों/ विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ज्ञाप संख्या- 4/पी1-10-09/2010 मृ0आ0 7240 पटना, दि0 01-सितम्बर, 2010  
 प्रतिलिपि:- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजार बाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।  
 अनुरोध है कि इस संकल्प की 1000 प्रतियाँ कार्यालय उपयोग हेतु गृह (आरक्षी) विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

*(परवेज हसन)*  
 01.9.2010  
 सरकार के अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या- 4/पी1-10-09/2010 मृ0आ0 7240 पटना, दि0 01-सितम्बर, 2010  
 प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं हक0) बिहार, पटना/सरकार के सभी विभाग /पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/पुलिस उप-महानिरीक्षक (प्रशासन), बिहार, पटना/ सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/सभी क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी समादेष्टा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. पुलिस महानिदेशक अपने स्तर से भी अपने सभी अधिनस्थों का इसको जानकारी दे देंगे।
3. सभी जिला दंडाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

*(परवेज हसन)*  
 01.9.2010  
 सरकार के अवर सचिव।

क्र.सं.	विभाग	प्राप्त/प्रेषित
1	महालेखाकार (ले0 एवं हक0)	
2	पुलिस महानिदेशक	
3	वित्त विभाग	
4	पुलिस उप-महानिरीक्षक (प्रशासन)	
5	प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक	
6	क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक	
7	पुलिस अधीक्षक	
8	समादेष्टा	

उपरोक्त सूचना के अन्तर्गत विभागों को सूचित किया जाता है कि वे अपने अधिनस्थों को सूचित करें और आवश्यक कार्रवाई करें।  
 यह सूचना बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित की जायेगी।

(58) 7

पत्र संख्या-ए०/वि.-2610/96 पार्ट-1972/सी.

बिहार सरकार

गृह (विशेष) विभाग

गोपनीय प्रेषक,

श्री विजय शंकर दुबे  
मुख्य सचिव, बिहार।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त  
सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक 9 अगस्त, 2000.

विषय:- आतंकवादी/उग्रवादी/जातीय विरोधाभाव/निर्वाचन संबंधित हिंसा/ सामूहिक हत्या की घटनाओं में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान और अनुकम्पा के आधार पर सरकारी सेवा में वर्ग-4 के पदों पर नियुक्ति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, मुझे कहना कि राज्यान्तर्गत आतंकवादी/ उग्रवादी/ जातीय विरोधाभाव/ निर्वाचन संबंधित हिंसा/ सामूहिक हत्या की घटनायें घटित होती रही हैं और ऐसे हमलों के शिकार प्रायः निर्दोष व्यक्ति तथा उनके आश्रित होते रहे हैं। कभी-कभी तो समूचा परिवार ही समाप्त-प्राय हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में, कल्याणकारी राज्य की सरकार होने के नाते आतंकवादी/ उग्रवादी/ जातीय विरोधाभाव/ निर्वाचन संबंधित हिंसा/ सामूहिक हत्या से प्रभावित व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों को राहत/ अनुग्रह अनुदान एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जिम्मेवारी हो जाती है। राज्य सरकार इस दिशा में सदा से प्रयत्नशील रही है। इधर हाल ही धर्मशीला कुँवर बनाम राज्य सरकार एवं अन्य (सी.डब्ल्यू.जे.सी.संख्या 5808/9/) से सम्बन्धित वाद में माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस सम्बन्ध में एक पारदर्शी नीति निर्धारित करने का आदेश दिया है।

2. अभी तक राज्य के अन्तर्गत आतंकवादी/ उग्रवादी/ जातीय विरोधाभाव के कारण होने वाली हिंसक घटनाओं के दौरान पीड़ित व्यक्तियों/ उनके आश्रितों को गृह (विशेष) विभाग के परिपत्र संख्या-ए/न.पोल 1701, दिनांक 21.9.1987, के प्रावधानों के अनुसार अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किया जाता रहा है (अनुलग्नक-1)। उक्त परिपत्र के अनुसार उपर्युक्त प्रकार की घटनाओं में मारे गये व्यक्तियों के आश्रितों को रु.20,000/- (बीस हजार रूपया मात्र), स्थायी रूप से अपंगता प्राप्त प्रति व्यक्ति को रु.5000 (पाँच हजार रूपया मात्र) तथा गम्भीर रूप से घायल प्रति व्यक्ति को रूपया 500 से 1000 (पाँच सौ से एक हजार रूपया) तक का अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किया जाता रहा है, लेकिन किसी भी वैसे व्यक्ति को यह अनुदान अनुमान्य नहीं है जो उग्रवादी/आतंकवादी हो या किसी प्रकार का सूचीबद्ध अपराधी हो। उक्त परिपत्र में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्त किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

*Alu*